D:\Rekhaji ji\RTIL....doc

**राजस्थान सरकार**
**विधि (ग्रुप–2) विभाग**

**विषय :– दिनांक 08.10.2016 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ट्रेफिक चालान, नगरपालिका अधिनियम एवं लघु प्रकृति के आपराधिक मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के कम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों की पालना में ट्रेफिक चालान, नगरपालिका अधिनियम एवं लघु प्रकृति के आपराधिक मामलो की नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.10.2016 को प्रदेश में आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है।

ट्रेफिक चालान के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागो से सम्बंधित नगरपालिका अधिनियम, शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आबकारी अधिनियम, वन अधिनियम एवं लघु प्रकृति के अन्य मामले बडी संख्या में न्यायालयों में लंबित हैं जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा कम्पाउन्ड करने या वापस लेने के आधार पर किया जा सकता है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों को कम्पाउन्ड करने या वापस लेने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

**अतः इस संबंध में आपके विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों की प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करावें।** साथ ही संबंधित प्राधिकारी यथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को निर्देशित करावें कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.10.2016 की सफलता हेतु प्रदेश के अधिनस्थ कार्यालयो को भरसक सहयोग प्रदान करने हेतु आदेशित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

**प्रमुख शासन सचिव,विधि**

**अतिरिक्त मुख्य सचिव,**
**वन विभाग,**
**शासन सचिवालय, जयपुर।**

---

**अशा टीप सं.0 प.8(1)विधि–2/विरस–110/2016/568**
**जयपुर, दिनांक : 28.09.2016**

प्रति ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप विधि परामर्शी

3215

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः एफ2 (1)13/विधि/प्रमुवस/13515–13720 दिनांकः 5/10/16

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को भेजकर लेख है कि दिनांक 08.10.16 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करवाने की व्यवस्था करावें।

(रामगोपाल जाट)
सहायक विधि परामर्शी,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

Address: Van Bhawan. Bhagwandas Road, C-Scheme, Jaipur. Tel.No. 0141-2227697, Fax No. 2227697
Website: Rajforest.gov.in, Email : Jtlr forest@Gmail.com

(2) 51

# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

## राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)_

क्रमांक :– रालस / 2016 / 9503 दिनांक :– 17.9.2016

प्रेषिति :–

3444/PLS/II/16
27/09/16

20 SEP 2016

SB

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय :– दिनांक 08.10.2016 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ट्रेफिक चालान, नगरपालिका अधिनियम एवं लघु प्रकृति के आपराधिक मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के कम में।

महोदय,

निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों की पालना में दिनांक 08.10.2016 को ट्रेफिक चालान, नगरपालिका अधिनियम एवं लघु प्रकृति के आपराधिक मामलों की नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

ट्रेफिक चालान के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सम्बंधित नगरपालिका अधिनियम, शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आबकारी अधिनियम, वन अधिनियम एवं लघु प्रकृति के अन्य मामले बडी संख्या में न्यायालयों में लंबित हैं जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा कम्पाउन्ड करने या वापस लेने के आधार पर किया जा सकता है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों को कम्पाउन्ड करने या वापस लेने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

अतः माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों का आगामी नेशनल लोक अदालत में निस्तारण कराने हेतु एक सुनियोजित कार्य योजना तैयार करें, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय कराने, राज्य सरकार के स्तर पर ऐसे प्रकरणों को कम्पाउन्ड कराने या वापस लेने बाबत आवश्यक आदेश पारित करावें एवं अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।

(31)

इस सम्बन्ध में विशिष्ट शासन सचिव (गृह) एवं निदेशक अभियोजन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को लिखे गये पत्रों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

निर्देशानुसार निवेदन है कि इस सम्बन्ध में श्रीमान जी के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ पाँच दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि उन्हें माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एस0 के0 जैन) 17/9/16
सदस्य सचिव

पी0एस0